न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री बृजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 26/2021 (GCMS No. 2021/27) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मोहरसिंह पुत्र सुगनी
2. भरतलाल पुत्र मोहरसिंह
3. मुकेश पुत्र मोहरसिंह
4. हरिचरण पुत्र सुजान

} समस्त जातियान जाटव निवासीयान वेरखेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज.

...........अपीलांटस

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार हिण्डौन सिटी जिला करौली।
2. ग्राम पंचायत विजयपुरा पंचायत समिति हिण्डौन सिटी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

..........रेस्पोडेंटस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 07.07.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी मु.नं. 10/16 उनवान मोहरसिंह बनाम सरकार।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से श्री लियाकत अली वकील।
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से नायब तहसीलदार करौली।

नि र्ण य **दिनांक : 21.06.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के आदेश दिनांक 07.07.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 358/2 रकवा 10 बीघा वांके ग्राम बेरखेडा पटवार हल्का विजयपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित गैर मुमकिन आवादी दर्ज है। दौराने सैटलमैंन्ट उक्त साबिक ख.नं. 358/2 रकवा 10 बीघा के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नये नम्बर 797 रकवा 11 ऐयर, 798 रकवा 24 ऐयर, ख.नं. 1020 रकवा 2.29 हैक्टे. कायम किये गये। सैटलमैंन्ट द्वारा नवीन नम्बर कायम कर उक्त आराजी की किस्म को गैर मुमकिन आबादी के स्थान पर ख.नं. 1020 व 797 किस्म गैर मुमकिन सिवायचक तथा ख.नं. 798 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया उक्त जमीन आबादी के कार्य में आ रही है जिसपर जाटव समाज के करीव 125 परिवारों के पुख्ता रिहायशी मकान, गैत वाडे बने हुये है तथा हैण्डपम्प व बिजली कनेक्शन लगे हुये है। अतः गैर मुमकिन सिवायचक के स्थान पर गैर मुमकिन आबादी दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गई है।

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से नायब तहसीलदार करौली उपस्थित। रेस्पो. संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. विद्वान वकील उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस अपीलांट द्वारा अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुये सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम अपीलांटस को दिनांक 14.09.2018 को वकील से पूछने पर हुई। उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने उक्त अपील प्रस्तुत करने के लिए हिण्डौन के वकील को नियुक्त किया जिन्होने उक्त अपील इस न्यायालय के स्थान पर आर. ए.ए. सवाई माधोपुर में कर दी। न्यायालय आर.ए.ए. सवाई माधोपुर द्वारा न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने के कारण काफी समय बाद लौटा दी। इसके बाद कोविड 19 के कारण समस्त न्यायालय बन्द हो गये। न्यायालय खुलने पर सवाई माधोपुर में वकील नियुक्त किया उनके द्वारा बताया कि न्यायालय का कैम्प सवाई माधोपुर आता है काफी समय से आया नहीं है। आने पर पेश कर दूँगा। और उन्होने भी फाईल वापिस लौटा दी। तब कैम्प करौली में यह अपील पेश की गई। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन है कि देरी को कन्डोन किया जावे।
5. अपीलांट ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 358/2 रकवा 10 बीघा वांके ग्राम बेरखेडा पटवार हल्का विजयपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। दौराने सैटलमैंन्ट उक्त साबिक ख.नं. 358/2 रकवा 10 बीघा के नये नम्बर 797 रकवा 11 ऐयर, 798 रकवा 24 ऐयर, ख.नं. 1020 रकवा 2.29 हैक्टे. कायम किये गये। सैटलमैंन्ट द्वारा नवीन नम्बर कायम कर उक्त आराजी की किस्म को गैर मुमकिन आबादी के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

स्थान पर ख.नं. 1020 व 797 किस्म गैर मुमकिन सिवायचक तथा ख.नं. 798 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया उक्त जमीन आबादी के कार्य में आ रही है जिसपर जाटव समाज के करीब 125 परिवारों के पुख्ता रिहायशी मकान, गैत वाडे बने हुये है तथा हैण्डपम्प व बिजली कनेक्शन लगे हुये है। कानूनन सैटलमैंट को भूमि की किस्म बदलने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट के प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी/रेस्पो. नं. 1 ने जबाब में स्वीकार किया है। तहसीलदार ने अपने जबाव में भी विवादित भूमि को गैर मुमकिन आबादी होना स्वीकार किया है। उक्त आराजी पूर्व में गैरमुमकिन आबादी दर्ज है। सैटलमैन्ट की गलती से गैर मुमकिन सिवायचक दर्ज किया है। जिसे पुनः आबादी में दर्ज करना विधिसम्मत है। पत्रावली की ऑर्डर शीट दिनांक 03.04.2017 में वास्ते जबाब ग्राम पंचायत के लिए दिनांक 18.05.2017 तारीख नियत थी तथा राजस्व कैम्प में दिनांक 07.07.2017 को पेश होने की मौहर लगा दी। जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। इस प्रकार उक्त निर्णय जल्दबाजी में मनमाने तरीके से कानून के विपरीत पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजातों का अवलोकन नहीं किया गया और न ही अपने निर्णय में विवेचन किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन का निर्णय दिनांक 07.07.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 797 रकवा 11 ऐयर वांके ग्राम बेरखेडा गैर मुमकिन सिवायचक के स्थान पर सैटलमैन्ट से पूर्व की तरह गैर मुमकिन आबादी दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

6. नायब तहसीलदार करौली द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया कि चकबन्दी के दौरान मौके की जॉच कर बदलने का अधिकार बन्दोवस्त विभाग को है। गैर मुमकिन दर्ज करने का अधिकार भी होता है। बन्दोवस्त विभाग ने अपने अधिकार में ही किया गया है। विवादित आराजी की किस्म बारानी हैं। अपील अपीलान्टस द्वारा बिना उचित कारण के मियाद बाहर भी पेश की है। अधीनस्थ न्यायाल द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे।
7. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया व मनन किया। अपीलांट द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अपीलांट का बिलम्ब के संबंध में कथन है कि प्रार्थी ने उक्त अपील प्रस्तुत करने के लिए हिण्डौन के वकील को नियुक्त किया जिन्होने उक्त अपील इस न्यायालय के स्थान पर आर.ए.ए. सवाई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

माधोपुर में कर दी। न्यायालय आर.ए.ए. सवाई माधोपुर द्वारा न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने के कारण काफी समय बाद लौटा दी। इसके बाद कोविड 19 के कारण समस्त न्यायालय बन्द हो गये। न्यायालय खुलने पर सवाई माधोपुर में वकील नियुक्त किया उनके द्वारा बताया कि न्यायालय का कैम्प सवाई माधोपुर आता है काफी समय से आया नहीं है। आने पर पेश कर दूँगा। और उन्होंने भी फाईल वापिस लौटा दी। तब कैम्प करौली में यह अपील पेश की गई। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया है ताकि उभयपक्ष की उचित सुनवाई के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो सके और कोई भी पक्ष बिना सुने न रहे। अतः प्रकरण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अपील में हुए विलम्ब की अवधि को कंडोन किया जाता है।

8. हमने अपील एवं आपत्ति अपील का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 03.04.2017 को पत्रावली वास्ते जबाब ग्राम पंचायत नियत थी फिर बिना पक्षकारों की सहमति के ही लोक अदालत कैम्प में दिनांक 28.05.2024 को अप्रार्थीगण को सुने बिना ही निर्णय पारित किया जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई। आराजी खसरा नम्बर 358/2 रकवा 10 बीघा बांके ग्राम बेरखेडा पटवार हल्का विजयपुरा तहसील हिण्डौन जमाबन्दी संवत् 2038 से 2041 में स्थित गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। दौराने सैटलमैन्ट उक्त साबिक ख.नं. 358/2 रकवा 10 बीघा के नये नम्बर 797 रकवा 11 ऐयर, 798 रकवा 24 ऐयर, ख.नं. 1020 रकवा 2.29 हैक्टे. कायम किये गये। सैटलमैन्ट द्वारा नवीन नम्बर कायम कर उक्त आराजी की किस्म को गैर मुमकिन आबादी के स्थान पर ख.नं. 1020 व 797 किस्म गैर मुमकिन तथा ख.नं. 798 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया। तहसीलदार हिण्डौन द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.07.2016 के बिन्दु संख्या 1 में अंकित किया है कि ग्राम बेरखेडा साबिक खसरा नम्बर 385/2 रकवा 10 बीघा जमाबंदी संवत् 2038–41 किस्म गै. मु. आबादी थी। जिसमें हाल ख.नं. 797 रकवा 0.11., 798 रकवा 0.24, 1020 रकवा 2.29 हैक्टे. बने हैं। बिन्दु संख्या 2 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 797 रकवा 0.11 हैक्टे., 1020 रकवा 2.29 हैक्टे. की किस्म मुताबिक मिसल भू प्रबंध खतौनी में गै. मु. अंकित दर्ज है। बिन्दु संख्या 9 में अंकित किया है कि वादीगण ग्राम बेरखेडा गत खसरा नम्बर 385/2 रकवा 10 बीघा से हाल बने ख.नं. 797/0.11, 1020/2.29 की किस्म भू प्रबंध विभाग द्वारा गै. मु. तथा ख.नं. 798/0.24 की किस्म गैर मु. रास्ता अंकित की गई है। हाल ख.नं. 797 रकवा 0.11 है. व 1020 रकवा 2.29 है. की किस्म गै. मु.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

आबादी किया जाना विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि राजस्व रिकार्ड, मिसल बन्दोवस्त, नक्शा ट्रेस, हाल जमाबंदी पटवारी हल्का से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में दर्ज ख.नं. 797 रकवा 0.11 है. गैर मु. दर्ज है। पूर्व साबिक जमाबन्दी संवत् 2038–40 में ग्राम बेरखेडा साबिक ख.नं. 358/2 में आबादी दर्ज है। संवत् 2038 के बाद बन्दोवस्त ने मौके पर चकबन्दी तैयार करने के दौरान उक्त आराजी 0.11 है. का उपभोग आबादी नहीं होना संभावित होता है जिससे तत्समय आराजीयात की किस्म गै. मु. दर्ज कर दी गई। इस प्रकार संभावना के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया है। तहसीलदार द्वारा अपील रिपोर्ट में गै. मु. आबादी दर्ज किया जाना विधि सम्मत माना है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित करने में प्रक्रियात्मक एवं विधिक भूल की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

9. फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन का निर्णय दिनांक 07.07.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्व अभिलेखों को विस्तृत विवेचन करते हुये पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर